भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1874**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

घटिया उर्वरक

1874. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री संजय दीना पाटिल:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारतीय बाजार में नकली और घटिया उर्वरकों की व्यापक उपस्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार ने ऐसे किन्हीं क्षेत्रों अथवा राज्यों की पहचान की है जहां विशेषकर नकली उर्वरकों की अधिक मात्रा पाई जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या विशिष्ट कार्रवाई की जा रही है;
(ग) क्या सरकार किसानों में घटिया उर्वरकों से जुड़े जोखिमों और नकली उत्पादों से बचने के तरीकों के संबंध में जागरूकता बढ़ा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या किसानों के लिए संदिग्ध घटिया अथवा नकली उर्वरकों की रिपोर्ट करने के लिए कोई प्रणाली मौजूदा है और यदि हां, तो ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(ड.) क्या उन किसानों को मुआवजे के रूप में सहायता दी जाती है जिन्हें नकली अथवा घटिया उर्वरकों का उपयोग करने के कारण नुकसान उठाना पड़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देशन निर्धारित किए गए हैं। कोई भी उर्वरक, जो उक्त विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता है, को कृषि प्रयोजन के लिए देश में नहीं बेचा जा सकता है। (एफसीओ) के खंड 19 में उन उर्वरकों की बिक्री अथवा उत्पादन का कड़ाई से निषेध किया गया है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। नकली/घटिया/मिलावटी उर्वरकों की किसी भी प्रकार की बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडनीय है।

इसके अलावा, उर्वरकों का गुणवत्ता नियंत्रण राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। राज्य में नकली उर्वरकों की बिक्री को विनियमित करने के लिए, फील्ड स्तर पर जागरूकता और सतर्कता के लिए एक जिला गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है और प्रेस नोट, टीवी वार्ता, किसान गोष्ठी, कृषि मेला, कृषि महोत्सव आदि के माध्यम से नियमित आधार पर किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाता है।

****